30.06.2015 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन (न.के.अं.) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आकलन के लिए गठित उप-समिति के चौथे बैठक की कार्यवृत्त

30.06.2015 को नई दिल्ली में श्री बी.एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार, ज.सं., न.वि. और गं.सं.मं. के अध्यक्षता के अंतर्गत नदियों के अंतर्योजन (न.के.अं.) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आकलन के लिए गठित उप-समिति की चौथे बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में उपस्थित सहभागियों की सूची **संलग्नक-I** में दी गई है।

शुरुआत में अध्यक्ष ने सदस्यों का स्वागत किया और सचिव के अनुपस्थिति में रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक से एजेंडा मुद्दे को आरंभ करने का अनुरोध किया। चर्चित महत्वपूर्ण मुद्दों का सार नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

मुद्दा संख्या 4.1 7.04.2015 को नई दिल्ली में आयोजित तृतीय संयुक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांकित अप्रैल 17, 2015 पत्र के माध्यम से सभी सदस्यों को संचारित 7.04.2015 को नई दिल्ली में आयोजित (i) नदियों के अंतर्योजन (न.के.अं.) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आकलन के लिए गठित उप-समिति [उप-समिति – I] और (ii) सबसे उपयुक्त विकल्प योजना की पहचान के लिए गठित प्रणाली अध्ययनों की उप-समिति [उप-समिति – II] की तृतीय संयुक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मुद्दा संख्या 4.2 उप-समिति के कार्यकाल का विस्तारण

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने यह सूचित किया कि उप-समिति I के विचारणीय विषय काफी व्यापक सीमा के थे। दोनों उप-समितियों की तीन बैठक आयोजित की जा चुकी है। इस उप-समिति का कार्यकाल 12 अगस्त, 2015 को समाप्त हो जाएगा। हालांकि, फिर भी दोनों उप-समितियों द्वारा बहुत सारा कार्य किया जाना बाकी है। सलाहकारों/ विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के कारण उप समिति I का कार्य आगे नहीं बढ़ सका। वास्तव में, उप समिति I के डोमेन के तहत भिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु उप समिति II ने विशेष रूप से सलाहकारों के रूप में 8 विशेषज्ञों को नियुक्त करने का सुझाव दिया है। इस उद्देश्य हेतु सलाहकारों/ विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना है। अतः, उप समिति I का कार्यकाल कम से कम छह महीने विस्तारित करने की आवश्यकता है।

सदस्यों ने समितियों के प्रस्तावित समय सीमा के विस्तारण के मुद्दे पर विधिवत उप विचार-विमर्श किया। उप समितियों के अध्यक्षों ने भी समय के विस्तारण की आवश्यकता से सम्पूर्ण सहमति जताई। सदस्यों के सुझावों के आधार पर विशेष समिति के विचार और अनुमोदन हेतु उप-समिति I के समय को छह महीने विस्तारित करने की संस्तुति प्रदान करने पर सहमति जताई गई।

मुद्दा संख्या 4.3 उप-समिति का विस्तारण – अन्य विभागों/ मंत्रालयों से प्रतिनिधियों का समावेशन

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने उप-समिति को सूचित किया कि 11 मार्च, 2015 को उप-समिति के द्वितीय बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार रा.ज.वि.अ. ने इस मुद्दे को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के समक्ष पेश किया ताकि निम्न मंत्रालयों/ विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सके:-

(i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (प.व.ज.प.मं)
(ii) कृषि मंत्रालय

(iii) जनजाति मंत्रालय (ज.मं)
(iv) वित्त मंत्रालय (वि.मं)
(v) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा)
(vi) केन्द्रीय जल आयोग (के.ज.आ)
(vii) नीति आयोग

ज.सं., न.वि. और गं.सं मंत्रालय ने इस मुद्दे को संबंधी मंत्रालयों/ विभागों में प्रस्तुत किया। के.वि.प्रा, के.ज.आ, नीति आयोग और कृषि मंत्रालय से सदस्यों का नामांकन मिल चुका है। नामांकन का विवरण नीचे प्रदान किया गया है:-

(i) श्री पी.के शुक्ला, के.वि.प्रा के निदेशक
(ii) श्री आर.के जैन, मुख्य अभियंता (ज.यो.प्र.सं) और श्री विनय कुमार, मुख्य अभियंता (ज.अ.सं), के.ज.आ
(iii) श्री ए.के गौतम, सलाहकार (ज.सं.), नीति आयोग
(iv) श्री राघवेन्द्र सिंह, अपर सचिव, कृषि एवं सहयोग विभाग, कृषि मंत्रालय

यह निर्णय लिया गया कि सभी नामांकित सदस्यों को उप-समिति के अगली बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उप-समिति ने इसे नोट किया।

मुद्दा संख्या 4.4 रा.ज.वि.अ. के तकनीकी सलाहकारी समिति (त.स.स) के दिशा-निदेशों और नदी जलाशय में जल संतुलन/ जल अभाव गणना की प्रक्रिया को कवर करता प्रस्तुतीकरण

श्री एन.सी जैन, निदेशक (तक), रा.ज.वि.अ. ने रा.ज.वि.अ. के तकनीकी सलाहकारी समिति (त.स.स) के दिशा-निदेशों पर एक प्रस्तुतीकरण पेश की, जैसा कि इसके कई बैठकों में निर्णय लिया गया था। कृषि योग्य अधिकतम क्षेत्र, जल उत्पत्ति की गणना, जल का पुनरुत्पादन, जल उपलब्धता, भू जल इत्यादि पर विचार करते हुए जलवायु दृष्टिकोण से कई मुख्य और मध्य वर्गीय परियोजनाओं के लिए जल आवश्यकता अनुमान लगाने के लिए डेल्टा गणना की पद्धति प्रस्तुत की गई। जल संतुलन अध्ययन के संबंध में यह उल्लेख किया गया कि दिशा-निदेशों में निम्न शामिल है:

"रा.ज.वि.अ. का जल संतुलन अध्ययन 75% और 50% निर्भरता, दोनों दरों पर जल उपलब्धता का प्रक्षेपण कर सकता है। हालांकि, प्रस्तावित योजना का सफलता दर 75% होना चाहिए।"

उप-समिति के कई सदस्यों ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया:

अध्यक्ष ने पूछा कि क्या यह त.स.स, ज.सं., न.वि. और गं.सं.मं. के त.स.स से अलग है। रा.ज.वि.अ. ने स्पष्ट किया कि रा.ज.वि.अ. के त.स.स का उद्देश्य भिन्न अध्ययन आयोजित करते और रिपोर्ट्स तैयार करते समय रा.ज.वि.अ. का मार्गदर्शन करना था। इसमें जल संसाधन परियोजनाओं के तकनीकी आंकलन शामिल नहीं थे। उप-समिति के सदस्यों ने अपनी-अपनी राय दी।

अध्यक्ष ने जल संसाधन परियोजनाओं की तैयारी के लिए निर्भरता मानदंड के बारे में सवाल किया। श्री ए.डी. मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ ने बताया कि महानगरों के जल आपूर्ति परियोजनाओं में निर्भरता मानदंड का सफलता दर भिन्न हो सकता है और भारत सरकार के दिशा-निदेशों अनुसार सूखे की स्थिति के लिए निर्भरता मानदंड 50% निर्भरता के रूप में माना जा सकता है। श्री ए.डी भरद्वाज, पूर्व सदस्य, के.ज.आ ने बताया कि रा.ज.वि.अ. द्वारा अपनाए गए परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के दिश-निदेश मौजूद है, जो 2010 में ज.सं..मं द्वारा समान उद्देश्य हेतु

तैयार किए गए दिशा-निदेशों सह सममूल्य है। श्री ए.सी त्यागी, महासचिव, अं.सिं.ज.आ के मत में भी सूखा इत्यादि जैसे भिन्न स्थितियों के लिए 75% सफलता दर की निर्भरता मानदंड की समीक्षा आवश्यक थी। श्री एस.एन हुद्दार, पूर्व सचिव (ज.सं..वि), महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि वर्तमान में प्रस्तावित जल संसाधन परियोजनाओं के लिए अनुमोदित मानदंड 75% सफलता दर की है।

त.स.स के दिशा-निदेशों के प्रावधानों, जो कहता है कि *"उप-जलाशयों एवं जलाशयों के भीतर मौजूद परियोजनाओं की आवश्यकता पेश करते समय, निर्णय/ सहमति द्वारा सूचित आवंटनों में बिना किसी बदलाव के इसे अध्ययनों में शामिल किया जाएगा।"* पर चर्चा करते समय श्री ए.डी मोहिले ने बताया कि गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण (गो.ज.वि.न्या) के निर्णय में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि इंचमपल्ली बिजली घर में जल-विद्युत उत्पत्ति के बाद आंध्र प्रदेश किसी भी तरीके से इस जल का उपयोग कर सकता है। अतः यदि गो.ज.वि.न्या के निर्णय के प्रावधानों पर विचार किया जाए, तो दाक्षिण में आगे जल के दिक्परिवर्तन के लिए जल शेष नहीं रह जाएगी। अतः, त.स.स के दिशा-निदेशों के इन प्रावधानों में समीक्षा/ संशोधन की आवश्यकता है।

दिशा-निदेशों के प्रावधानों के संबंध में *"वर्तमान रा.ज.वि.अ. द्वारा वर्षा के महीनों को सम्पूर्ण संख्या के रूप में मान कर वर्षा-अपवाह जल सहसंबंध के उपयोग से निष्पादित उत्पादन अध्ययन को ज़ारी रखा जाएगा। जहाँ भी रा.ज.वि.अ. द्वारा किसी उप-जलाशय के लिए मासिक वर्षा-अपवाह जल सहसंबंध प्राप्त किया जाता है, वहाँ पर कई सहसंबंधों को ध्यान में रखना होगा।"* यह देखा गया कि उत्पादन/ बह जाने वाले जल के गणना हेतु आधुनिक मॉडलिंग प्रोद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता है और कुछ मामलों में मौजूदा कार्य प्रणाली अनुसार तुलनात्मक विश्लेषण भी किया जा सकता है।

यह निर्णय लिया गया था कि मौजूदा सहमति के संदर्भ में जल विज्ञान अध्ययन मानदंडों के संशोधन और गो.ज.वि.न्या निर्णय के प्रावधानों में संबंध में सदस्य अपनी-अपनी राय दे सकते हैं ताकि उप-समिति उस पर विचार कर सके। यह निर्णय भी लिया गया था कि सदस्यों को 15 दिनों के अन्दर पर अपनी राय की प्रस्तुति सुनिश्चित करना होगा।

मुद्दा संख्या 4.5 अध्यक्ष के अनुमति से कोई अन्य मुद्दा

कोई नहीं

अध्यक्ष को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।

संलग्नक-I

30.6.2015 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन (न.के.अं.) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आंकलन के लिए गठित उप-समिति बैठक के सहभागी।

क्रमांक	**नाम और पद**	
1	श्री बी.एन नवलावाला मुख्य सलाहकार, ज.सं., न.वि. और गं.सं मंत्रालय	अध्यक्ष
2	श्री ए.डी मोहिले पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ	सदस्य
3	श्री ए.सी त्यागी, महासचिव, अं.सिं.ज.आ	सदस्य
4	श्री एस.एन हुद्दार पूर्व सचिव (ज.सं..वि), महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
5	श्री ए.डी भरद्वाज पूर्व महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. और पूर्व सदस्य, के.ज.आ	सदस्य
6	प्रोफ़ेसर समर के दत्ता (सेवा-निवृत्त) आईआईएम, अहमदाबाद	सदस्य
	विशेष अतिथिगण	
7	श्री एस. मसूद हुसैन, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.	
8	श्री एन.सी जैन निदेशक (तक), रा.ज.वि.अ.	
9	श्री ओ.पी.एस कुशवाह अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ.	